भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

राज्यर सभा

लिखित प्रश्न सं. 138 जिसका उत्तुर

सोमवार, 24 नवम्बसर2014/**3** अग्रहायण,1936 (शक) को दिया जाना है

भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्यायण संघ

138. **श्री अम्बेटथ राजन :**

क्याा **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यात पोत परिवहन क्षेत्र के एक मात्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याकण संघ गठित किया गया है;

(ख) यदि हां , तो इसकी स्थिजति क्या,क्क्हैाय यह पंजीकृत, हैइसके उपनियमों और इसके द्वारा कर्मचारियों के कल्यातण हेतु शुरू किए गए कार्यकलापों का ब्यौसरा क्यार; हैऔर

(ग) यदि नहीं , इसके क्यार कारण हैं?

उत्तगर

पोत परिवहन राज्यय मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णसन्)

(क) जी हां, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (एस.सी.आई.) में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याधण संघ का गठन किया गया है।

(ख) और (ग) : संघ, शिपिंग हाउस, 245, मडाम कामा रोड़ मुम्ब ई में द शिप-इंडिया शेड्यूल्डर कास्ट्/ शेड्यूल्डम ट्राइब एम्पालोइस वेल्फे,यर एसोसिऐशन के नाम से पंजीकृत है।

संघ द्वारा एस सी/ एस टी कर्मचारियों से जुडे विभिन्नं मामले और प्रशिक्षण एवं विकास, सामाजिक एकजुटता, को प्रोत्साजहन, सामाजिक न्याऔय तथा शोषण के अन्य, प्रकारों इत्या्दि से संरक्षण जैसे उनके कल्याा‍ण से संबंधित विभिन्न मामलों को देखा जाता है। इसके संगम ज्ञापन (उपविधि) में संघ का उद्देश्यय, सदस्यमता, संगठनात्मक ढांचा , वित्तीघय शक्तिएयां, लेखों का रखरखाव आदि सम्मिलित हैं।

******